Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

रामचन्द्र पुत्र रतनाराम जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम आत्मप्रकाश वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 07/**2023** **U/S 212 RTA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12.01.2023	आज यह प्रार्थना पत्र रामचन्द्र ने जरिये श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 1262/982 तादादी 5.41 हैक्टेयर व खसरा नंबर 983/924 तादादी 1.5900 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी तारीख पेशी तक उभयपक्ष यथास्थिति बनाए रखें। अप्रार्थी को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 23.01.2023 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 23.01.2023 को पेश हों । (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीडूंगरगढ**	
[illegible] 18.1.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं. 3 ता 5 की ओर से अधिवक्ता मदन गोपाल उपस्थित। वादी द्वारा मूल वाद राजीनामे के आधार पर विड्रो किया जा चुका है, प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस्तिरदाद पर [illegible] पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	(वादी प्रार्थी) रामचन्द्र ID By. [illegible] Adv. प्रार्थना विड्रा करना चाहता है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.03 16:10:58 IST
Reason: SelfAttested